FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... शेरसिंह

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–07 सन्–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर–07/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.01.2021	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम पालौदा भूमि ख0न0 511 रकबा 0.10 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर गैरसायल शेरसिंह पुत्र मूलचंद जाति रावत निवासी रसीदपुर द्वारा फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया और अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 4.40 रूपये का 50 गुणा 220 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली एवं फसल जप्ती निलामी हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा) रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2078 की पृ0 सं0 29 पर 220 रू की मांग कायम की गई। (हस्ताक्षर) तहसील राजस्व लेखाकार	

फर्द बेदखली

आज दिनांक 17-3-22 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदारजी, महवा क्रमांक –RA/2022/23-24 दिनांक 10-1-2022 की पालना में ग्राम पालोंढा के खसरा नंबर 511 रकबा 2.47 है. किस्म चारागाह मौके पर आया। मौके पर उक्त खसरा नंबर में 0.10 है भूमि पर श्री श्रीरासिंह पुत्र मूलचन्द्र जाति रावत निवासी रसीदपुर ने अतिचार करके फसल सरसों काश्त कर रखी है।

उक्त भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि को कब्जा राज लिया गया।

7-3-22 ILR

हस्ताक्षर पटवारी

फर्द नीलामी –

आज दिनांक 7-3-22 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदार जी, महवा क्रमांक –RA/2022/23-24 दिनांक 10-1-2022 की पालना में ग्राम पालोंढा के खसरा नंबर 511 रकबा 0.10 है फसल सरसों जो कि श्री श्रीरासिंह पुत्र मूलचंद्र जाति रावत निवासी रसीदपुर द्वारा अतिचार करके काश्त की गई, को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर फसल को कब्जा राज लिया गया तथा मौके पर नीलाम किया गया। जिसकी नीलामी बोली निम्न प्रकार रही :–

क्रं०सं०	नाम बोलीदार	राशि	हस्ताक्षर
1.	मोहनलाल पुत्र कजोड्या	800	[signature]
2.	सुन्दर पुत्र मुरली ब्राह्मण पालोंढा	900	सुन्दर
3.	बिजेन्द्र पुत्र मूलचंद्र रावत रसीदपुर	1000	बिजेन्द्र

रा० ल० स० 4 वर्ष–2078 की पृ० सं० ~~29~~ पर ~~1000~~ रु की मांग कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार

उक्त बोली से अधिक किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली नहीं लगाई गई। अतः श्री बिजेन्द्र पुत्र श्री मूलचंद्र जाति रावत निवासी रसीदपुर के नाम राशि रू० 1000 में अन्तिम बोली छोडी गई।

7-3-22

7-3-22 ILR

स्वीकृत

तहसीलदार
महवा (जिला दौसा)